न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1676–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–15 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 146/11–12/अपील.

दाताबन्दी छोड गुरूद्वारा जिला ग्वालियर
जत्थेदार–बाबा लक्खा सिंह
चेला बाबा उत्तम सिंह .....आवेदक

विरूद्ध

1– जसवन्त सिंह पुत्र तेज सिंह
पूर्व जत्थेदार गुरूद्वारा दाता बन्दी छोड
जिला ग्वालियर (फौत)

2– दिनेश सिंह चौहान पुत्र जय सिंह चौहान
निवासी रामदास घाटी, शिन्दे की छावनी
लश्कर ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सौरभ जैन, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर सिटी, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29–6–12 के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 146/11–12/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान

अनावेदक कमांक 2 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 10 सहपठित आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा दिनांक 20–4–15 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब तक अनावेदक कमांक 1 द्वारा निष्पादित किये गये विकय पत्र प्रस्तुत नहीं होगा, तब तक नामांतरण नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष विकय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि फर्जी है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक संस्था की है, और उसे विकय करने का अधिकार किसी को नहीं है, और न ही प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनने का कोई अधिकार प्राप्त है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के पास कोई विकय पत्र नहीं है, और यदि विकय पत्र होता तो वे प्रस्तुत करते ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दाताबन्दी छोड गुरूद्वारा का जत्थेदार नहीं है, और न ही उसके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि वह उपरोक्त संस्था का जत्थेदार है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा भी नहीं है, इस कारण उसके हित प्रभावित नहीं होने से उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति अनावेदक कमांक 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति है, और राजस्व अभिलेखों में गुरूद्वारा का कोई उल्लेख नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 दिनेश सिंह के पास प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई भी विकय पत्र नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि में उसका हित नहीं होने

से वह आवश्यक पक्षकार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–15 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर